30/3/2021

वकील फरीकैन उपस्थित। पत्रावली आंशिक रूप से डिक्री किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.07.15 15:36:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली

पीठासीन अधिकारी :— देवेन्द्र सिंह परमार आर.ए.एस.

मु.न. 17 / 2020 | आर.सी.एम.एस 2020 / 00053 | तारीख रजू 17.18.2020

रोशन सिंह पुत्र गजसिंह आयु 70 साल जाति राजपूत निवासी गढमडौरा तहसील मासलपुर जिला करौली।

वादी

बनाम

1. भंवरसिंह आयु 62 साल
2. अमरसिंह आयु 59 साल
3. बच्चु आयु 52

(1–3) पुत्रान निरभान सिंह जातियान राजपूत निवासीयान गढमडौरा तहसील मासलपुर जिला करौली।

4. अंगूरी आयु 55 साल
5. मीरा आयु 53 साल

(4–5) पुत्रीयान निरभान सिंह

6. शिवसिंह पुत्र गंगाधर सिंह आयु 70 साल
7. रामजबहादुर आयु 59 साल
8. संतोष सिंह आयु 48 साल
9. बन्टूसिंह आयु 35 साल

(7–9) पुत्रान हाकिम सिंह तहसील मासलपुर

10. गुडिया पत्नि विष्णु सिंह आयु 38 साल
11. रमेश सिंह आयु 58 साल
12. रामभरोसी आयु 53 साल
13. बनेसिंह आयु 52 साल
14. मेधसिंह आयु 48 साल
15. गुडडू सिंह आयु 46 साल
16. रामदाससिंह आयु 42 साल

(11–16) पुत्रान रतनसिंह

17. हरिसिंह आयु 40 साल
18. सुरेश सिह आयु 38 साल
19. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील मासलपुर जिला करौली ।
20. बी.ओ.बी. शाखा मासलपुर जरिये प्रबन्धक बैंक ऑफ बडौदा शाखा मासलपुर तहसील मासलपुर व जिला करौली।

प्रतिवादीगण

दावा धारा 88 आर.टी.एक्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.07.15 15:36:12 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

दिनांक 30.03.2021

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने यह वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि आराजी खसरा नम्बर 294,295,321,402,451,461,574 कुलकिता 8 कुल रकवा 97वीधा 3 विस्वा ग्राम गढमडौरा पटवार हल्का तहसील मासलपुर

Scanned with CamScanner

मे स्थित है जो वादी व प्रतिवादी न01 ता 18 के संयुक्त खातेदारी व कब्जे की है जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा है। प्रतिवादी न01 ता 5 का 1/8 व प्रतिवादी न 6 का 1/8 तथा प्रतिवादी न07 ता 10 का 1/8 एवं 11ता 16 का 1/8 प्रतिवादी न017,18 का 1/4 हिस्सा है जिसमें सम्वत 2015 में जमाबन्दी में वादी का नाम रोशन सिंह पुत्र गजसिंह दर्ज है परन्तु बाद में चौसाला जमाबन्दी बनाते समय वादी का नाम रोशन सिंह गजसिंह ही दर्ज जो सही दर्ज है वादी को राजस्व रिकार्ड वादी के पिता का गलत नाम गंगासिंह दर्ज होने की जानकारी दिनांक 05.02.2019 को नकल जमाबन्दी लेने पर हुयी तब वादी ने प्रतिवादी न019 से वादी के पिता का नाम गंगासिंह के स्थान पर गजसिंह दुरस्त करने की कहा तो प्रतिवादी न019 ने सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने की कहा तब वादी के यह वादपत्र पेश किया है वादी के समस्त कागजात में वादी के पिता का नाम गजसिंह है वादी वादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रिकार्ड में पिता का नाम गंगासिंह के स्थान पर गजसिंह दुरस्त कराकर अमल करवाने का अधिकारी है। वादी के चाचा विजयसिंह पुत्र सुजानसिंह के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 229,263,364,293,550,556, कुल किता 6 कुल रकबा 5 बीधा 5 बिस्वा ग्राम गढमडौरा में स्थित है वादी का चाचा विजयसिंह लाऔलाद फौत हो चूका है वादी मृतक विजयसिंह का एक मात्र वारिस है। वादी विजयसिंह के स्थान पर अपने हक में खातेदारी धोषणा करनेका अधिकारी है। अन्त मे दावा वादी ड्रिकी किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादी न0 2,9,17 ने जरिये वकील उपस्थित होकर जवाब दावा प्रस्तुत कर वादी के वाद पत्र को स्वीकार करते हुऐ कथन किया है कि वादी के पिता का नाम गंगासिंह के स्थान पर गजसिंह दुरस्त किये जाने में व मृतक विजयसिंह के स्थान पर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किये जाने मे प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नही है। अन्त में दावा वादी ड्रिकी किये जाने का निवेदन किया है अन्य प्रतिवादीगण के बावजूद तामील उपस्थित नही आने से उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिनांक 19.11.2020 को दिय गये है।

साक्ष्य वादी ली गयी। वादी ने अपनी मौखिक साक्ष्य में स्वंय का शपथपत्र व दस्तावेजी सबूत में जमाबन्दी सम्बत 2071 से 2074 व सम्बत 2072 से 2073 एवं ग्राम पंचायत जमरा का वारिस प्रमाण पत्र आधार कार्ड व परिचय पत्र,को फोटो प्रति व विजय सिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र फोटो प्रति पेश किया है।

वहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील वादी का वहस में कथन है कि वादग्रस्त आराजीयात ग्राम गढमंडोरा पटवार हल्का जमूरा तहसील मासलपुर वादी व प्रतिवादी न01 ता 18 के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की है जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा है सम्वत 2015 की जमाबन्दी में वादी का नाम रोशन पुत्र गजसिंह दर्ज है परन्तु बाद में चौसाला जमाबन्दी बनाते समय वादी का नाम रोशन सिंह पुत्र गंगासिंह दर्ज कर दिया है वादी का सही नाम रोशन पुत्र गजसिंह दर्ज कराने की वादी घोषणा खातेदारी कराने का हकदार है दावा वादी ड्रिकी किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.07.15 15:36:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

वकील प्रतिवादी न0 1,9,17, का वहस में कथन है कि वादी का सही नाम रोशनसिंह पुत्र गजसिंह है वादी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में गंगासिंह गलत दर्ज हुआ है जिसे दुरस्त किये जाने में प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नही है। वादी मृतक विजयसिंह का श्रीएक मात्र वारिस है दावा वादी ड्रिकी किया जावें।

वहस वकील उभयपक्ष का मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड व साक्ष्य का अवलोकन किया गया । जमाबन्दी सम्बत2015 मे वादी का नाम रोशनसिंह पुत्र गजसिंह दर्ज हो वादी का राजस्व रिकार्ड वादग्रस्त भूमि में पिता का नाम गजसिंह के स्थान पर गंगासिंह गलत दर्ज हुआ है जो दुरस्त किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादी विरूद्व प्रतिवादीगण आंशिक ड्रिकी किया जाता है वादी का वादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर में अपने पिता का नाम गंगासिंह के स्थान पर गजसिंह दुरस्त कराने का अधिकारी है प्रतिवादी न019 वादी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में गंगासिंह के स्थान पर गजसिंह दुरस्त करें। खर्चा पक्षकारण अपना–अपना वहन करें। तदानुसार पर्चा ड्रेकी जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 30.03.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(देवेन्द्र सिंह परमार)
उपखण्ड अधिकारी
करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.07.15 15:36:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner